न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 6/2005

सत्यनारायण पुत्र श्री मन्नानाथ जाति नाथ निवासी चन्द्राहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां

..... वादी

♠ बनाम ♠

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूलाल जाति मीणा
2. जगदीश पुत्र श्री रामप्रताप जाति मीणा
3. हेमराज पुत्री श्री पृथ्वीनाथ जाति नाथ निवासी चन्द्राहेडी तहसील मांगरोल
4. बद्रीलाल पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा निवासी चैनपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादी : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांकः 15.12.2005 निर्णय दिनांक : 06.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मन्नानाथ, पिसरान माधोनाथ, जाति नाथ निवासी चन्द्राहेडी के कब्जे काश्त में आराजी खसरा नं0 5 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 44 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 47 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 77 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 80 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं0 106 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा और खसरा नं0 110 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा आराजी सम्वत 2034 से 2037 में राजस्व रेकार्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादी के कब्जे काश्त में खसरा नं0 6 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 9 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 117 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 147 रकबा 0.31 है0 किता 5 रकबा 1.62 है0 दर्ज है। वाद उक्त आराजी में से खसरा नं0 6 रकबा 0.53 है0 के लिये ही पेश किया जा रहा है इसी रकबे पर प्रतिवादीगण बलपूर्वक कब्जा करने को आमादा है। प्रतिवादीगण वादी की कमजोरी एवं आर्थिक परिस्थिति का फायदा उठाते हुये बल पूर्वक कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि खसरा

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

रकबा 0.53 है0 पर बलपूर्वक प्रवेश न करें एवं किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। वादी को बलपूर्वक काश्त करने देवे।

उक्त आशय का वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। प्रकरण में दिनांक 06.07.2017 को वादी एवं प्रतिवादीगण ने मेरे सामने उपस्थित होकर राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा पत्र अनुसार वादी, प्रतिवादी गण के मध्य आराजी खसरा नं0 6 रकबा 0.53 है0 वाके माल चन्द्राहेडी तहसील मांगरोल को लेकर राजीनामा हो गया है। आराजी खसरा नं0 6 रकबा 0.53 है वादी के पास रहेगी, प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलअंदाजी नही करेंगें, वादी जब भी आराजी का विक्रय करेगा, प्रतिवादीगण को ही करेगा। प्रकरण में दिनांक 23.03.2011 को खसरा नं0 6 रकबा 0.53 है0 ग्राम चन्द्राहेडी की रिसीवरी प्रकरण संख्या 8/2010 से कर दी गई थी जिसकी निलामी राशि तहसील मांगरोल में जमा है। निलामी राशि वादी सत्यनारायण को दिऐ जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वकील वादी व प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से उक्तानुसार राजीनामा पेश किया। चूकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा इस शर्त पर हुआ है कि वादी जब भी आराजी खसरा नं0 6 रकबा 0.53 है0 ग्राम चन्द्राहेडी का बेचान करेगा तो प्रतिवादीगण को ही करेंगा। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अब कोई विवाद शेष नही रहा है। राजीनामा पत्र अनुसार प्रकरण में दिनांक 23.03.2011 को खसरा नं0 6 रकबा 0.53 है0 ग्राम चन्द्राहेडी की रिसीवरी प्रकरण संख्या 8/2010 से कर दी गई थी जिसकी निलामी राशि तहसील मांगरोल में जमा है। समस्त निलामी राशि वादी सत्यनारायण को दिऐ जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2017 को कोर्ट केम्प मांगरोल सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मत राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल